

(4)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 24/2026 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

रूपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर।

आवेदक

बनाम

1. संदीप गोयल (विक्रेता) पुत्र राकेश गोयल मैसर्स महीलाल राकेश कुमार बंशी पहाडपुर रोड मैन मार्केट रुदावल निवासी रघुनाथ मंदिर कालोनी रुदावल भरतपुर।
2. राकेश कुमार गोयल (विक्रेता) पुत्र महीलाल मैसर्स महीलाल राकेश कुमार बंशी पहाडपुर रोड मैन मार्केट रुदावल निवासी रघुनाथ मंदिर कालोनी रुदावल भरतपुर।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायलान स्वयं

निर्णय

दिनांक : 20.05.2026

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 30.04.2026 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 20.05.2026 को गैरसायलान उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 10.12.2025 को दोपहर 3.00 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स महीलाल राकेश कुमार बंशी पहाडपुर रोड मैन मार्केट रुदावल का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु दुकान में रखे हुये प्लास्टिक के ड्रम में लगभग 10 किग्रा सरसो तेल (लूज) रखे हुये पाये गये। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/1358/एक्ट/2025/1379 दिनांक 18.12.2025 द्वारा उक्त सरसो तेल (लूज) का नमूना (contravene regulation no-2.3.15(1)(b) of food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, beacause it sold in loose condition प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा (contravene regulation no-2.3.15(1)(b) of food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, beacause it sold in loose condition प्रकृति का सरसो तेल (लूज) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii)का उल्लंघन किया गया है।

११

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स महीलाल राकेश कुमार बंशी पहाडपुर रोड मैन मार्केट रुदावल से सरसो तेल (लूज) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण भरतपुर की जांच रिपोर्ट में (contravene regulation no-2.3.15(1)(b) of food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold in loose condition प्रकृति का पाया गया है। सरसो तेल (लूज) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है, जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडैक्ट का विक्रय करेगा। इसलिये गैरसायल के प्रति नरम रुख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 10.12.2025 को दोपहर 3.00 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स महीलाल राकेश कुमार बंशी पहाडपुर रोड मैन मार्केट रुदावल दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय दुकान दुकान में रखे हुये प्लास्टिक के ड्रम में लगभग 10 किग्रा सरसो तेल (लूज) रखे हुये पाये गये। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/1358/एक्ट/2025/1379 दिनांक 18.12.2025 द्वारा उक्त सरसो तेल (लूज) का नमूना (contravene regulation no-2.3.15(1)(b) of food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold in loose condition प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडैक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायलान को दी जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैरसायल को 20000/-रुपये (बीस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

५१
(धनश्याम शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)